

जिल्हा एवं उपखण्ड अधिकारी, महाराष्ट्र

कार्यवाही मय इनिशियल्य जज
बनाम

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तामील
में जारी हुए

मु. सं.


सरवण बनाम मुरारी वगैरा

दिनांक 22-08-2019

आज पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व उनके वकील को बार बार आवाज दिलाई गयी किन्तु कोई भी उपस्थित नहीं है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि वादी अपने प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रति गंभीर नहीं है तथा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाना नहीं चाहते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्त. अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 22-08-2017 निरस्त की जाती है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर शामिल मूल वाद रहे।

आदेश सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
महारा (जिला दौस्त)